(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
वेणसिंह पुत्र धोंकलसिंह जाति राजपुत, निवासी बरसींगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		रामसिंह पुत्र सरूपसिंह जाति राजपुत, निवासी बरसींगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (10)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 01 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2024	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जेठाराम कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की सयुंक्त खातेदारी के खेत मौजा बरसीगां, तहसील शिव के खसरा नम्बर 200/131, 199/131 रकबा क्रमशः 8.8788, 0.9551 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हिस्से पृथक दर्ज है तथा खातेदारान् के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खसरा नम्बर 199/131 में दुकानें भी निर्मित है। उक्त विवादित आराजी का बंटवारा नहीं किया होने से प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का विकास करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की भूमि पर मौके पर काबिज काश्त होने तथा रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। विप्रार्थीगण द्वारा उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में बिना विभाजन करवाये ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी कर उक्त भूमि पर पेट्रोल पम्प का निर्माण कार्य कर जबरन कब्जा करने एवं अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि संयुक्त खातेदारी भूमि में विप्रार्थीगण को विभाजन पूर्व ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में विभाजन पूर्व निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे संयुक्त खातेदारी भूमि में अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों से भी महरूम रहना पड़ेगा एवं मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा बरसींगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 200/131, 199/131 रकबा क्रमशः 8.8788, 0.9551 हैक्टेयर भूमि [illegible] के विरूद्ध राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। Signature Not Verified Digitally signed by Yaksh Chaudhary Date: 2026.02.02 18:34:36 IST Reason: SelfAttested पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के समन/नोटिसों का इन्तजार [illegible] आइन्दा दिनांक 05.02.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव शिव (बाड़मेर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.12.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तामिली रजि. A.D से करवाने बाबत, दिनांक 21.01.26 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
21.1.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली में पैरवी हेतु प्रार्थी व प्रार्थी वकील को न्यायालय समक्ष में रूक-रूककर आवाजें दी जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.02 18:34:36 IST
Reason: SelfAttested